भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1636

उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2025

सोमवार, 19 फाल्गुन 1946 (शक)

तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवा

1636. श्री अ. मनि:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को विशेष रूप से लक्षित करने वाले वर्तमान कौशल विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु में पिछले तीन वर्षों के दौरान कौशल विकास पहलों से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण युवाओं की संख्या क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को लक्षित करने वाले उक्त कार्यक्रम के लिए कुल बजट आवंटन कितना है;

(घ) सरकार की कौशल विकास पहलों के भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि ये प्रशिक्षण केंद्र दूरदराज के गांवों के युवाओं के लिए सुलभ हों?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष की आयु के निरक्षर, नव-साक्षर और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले तथा 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें दिव्यांगजनों और अन्य योग्य मामलों में उचित आयु में छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कम आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): यह योजना शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत शिक्षुता कार्यक्रम चलाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर कार्यस्थल पर प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह योजना देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई कई प्रकार के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है।

(ख) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एमएसडीई की कौशल विकास योजनाओं अर्थात पीएमकेवीवाई, जेएसएस, एनएपीएस और सीटीएस (आईटीआई) के अंतर्गत तमिलनाडु में प्रशिक्षित प्रशिक्षण केंद्रों और युवाओं की वर्तमान संख्या निम्नानुसार है:

स्कीम का नाम	प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24)
पीएमकेवीवाई	473	71,595
जेएसएस	9	48,609
एनएपीएस	2892*	2,23,793
सीटीएस (आईटीआई)	456^	1,10,653

**एनएपीएस योजना के अंतर्गत आंकड़े प्रतिष्ठानों की संख्या के लिए हैं।*

^सीटीएस योजना के अंतर्गत, आंकड़े सरकारी और निजी दोनों सहित आईटीआई की कुल संख्या से संबंधित हैं।

एमएसडीई द्वारा निर्धारित सामान्य मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण की लागत को पूरा करने के लिए पीएमकेवीवाई और जेएसएस के तहत निधि कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती है। तमिलनाडु राज्य के लिए वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमकेवीवाई और जेएसएस के तहत जारी की गई निधि नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

स्कीम	जारी की गई निधि (करोड़ रु. में)	
	2023-24	2024-25 (अब तक)
पीएमकेवीवाई	41.52	25.95
जेएसएस	4.32	2.30

आईटीआई के संबंध में दैनिक प्रशासन के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण भी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है। एनएपीएस के अंतर्गत प्रतिष्ठानों द्वारा नियोजित प्रशिक्षुओं को डीबीटी के माध्यम से 1,500 रुपये तक की वृत्तिका सहायता प्रदान की जाती है।

कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत उपर्युक्त योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य हाशिए के समूहों सहित समाज के सभी वर्गों को प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण केंद्र आवश्यकता के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य हाशिए के समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के

लिए, बोर्डिंग और लॉजिंग और वाहन लागत की प्रतिपूर्ति के संदर्भ में सामान्य लागत मानदंडों (सीसीएन) में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सीसीएनके तहत, विशेष क्षेत्रों जैसे कि एनई राज्यों और पहाड़ी राज्यों में रहने वाले उम्मीदवारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भी विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। पीएमकेवीवाई के तहत, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, हेल्थकेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, हस्तशिल्प और परिधान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं की अधिक भागीदारी को आकर्षित करने के लिए संरचित किए गए हैं। साथ ही, परियोजनाओं को स्थानीय कौशल मांगों के साथ संरेखित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जेएसएस योजना के तहत, आयु में छूट देकर महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों पर भी ध्यान दिया जा रहा है और जुलाई 2018 से, इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों की कवरेज कुल लाभार्थियों का लगभग 82% रही है।

*****